न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2025/1665

1. तेजाराम पुत्र नाथूराम,
2. छोगाराम पुत्र नाथूराम,
3. रामलाल पुत्र नाथूराम, समस्त 1 लगायत 3 जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री प्रभूसिंह राजावत, एडवोकेट अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से**
2. **चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय रेस्पोडेन्ट की ओर से**

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2024/405

1. तेजाराम पुत्र नाथूराम,
2. छोगाराम पुत्र नाथूराम,
3. रामलाल पुत्र नाथूराम, समस्त 1 लगायत 3 जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री प्रभूसिंह राजावत, एडवोकेट अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से**
2. **चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय रेस्पोडेन्ट की ओर से**

दिनांकः 11.02.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीले अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2024 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई। दोनों पत्रावलियों की विषयवस्तु एवं अपीलाधीन आदेश एक ही होने के कारण दोनों पत्रावलियों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 67 व 67/246 स्थित ग्राम हरदत्तपुरा, तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर में स्थित है। जिसके बाबत पड़ौसी खातेदारों द्वारा स्थानीय राजस्व कर्मचारियों से मिली–भगत कर दिनांक 23.02.2024 को खसरा नम्बर 67 व 67/246 में व पड़ौसी ग्राम शुभरामपुरा की भूमि खसरा नम्बर 42, 43, 44, 45/245 व 46 की अर्थात दोनों ग्राम की सींव पर मौके पर कदीमी रास्ता चालू है लेकिन मौका स्थिति के विपरित अकेले अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि 67, 67/246 स्थित ग्राम हरदत्तपुरा में से ही पुरा सम्पूर्ण रास्ता गलत रूप से प्रस्तावित कर दिया जबकि मौके पर स्थित रास्ता वास्तविक व भौतिक रूप से दोनों ग्रामों की सीमा पर स्थित दोनों ग्रामों की भूमि में आधा–आधा स्थित है। जिसके बारे में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से फर्द मौका

P.T.O.

बनाकर प्रस्तुत कर दिया। उन्होने आगे कथन किया है कि जो फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा बनाया गया है जिसके लिये हल्का पटवारी अधिकृत नही है, फिर भी तहसीलदार ने पटवारी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के बाबत ही उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के समक्ष प्रस्ताव दिनांक 28.02.2024 को भिजवा दिया, जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी द्वारा दिनांक 28.03.2024 को दर्ज कर एक ही दिन मे निर्णित कर दिया गया, जो निर्णय पूर्णतः विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध व प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा क्रमांक भू.अ./2024/542 दिनांक 28.02.2024 को जो प्रस्ताव न्यायालय में भिजवाया गया जिसका फर्द मौका रिपोर्ट एकपक्षीय रूप से दिनांक 23.02.2024 को मात्र हल्का पटवारी द्वारा ही बनाया गया है जबकि हल्का पटवारी मौका निरीक्षण के लिये कानूनन अधिकृत नही है जिससे हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट निरस्तनीय होने से उसके आधार पर खारिज अपीलाधीन निर्णय भी निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करते से पूर्व विचारण न्यायालय ने प्रभावित खातेदारान को सुनवाई का अवसर नही दिया तथा फर्द मौका रिपोर्ट में प्रचलित रास्ते का विवरण में रास्ता ग्राम हरदत्तपुरा व शुभरामपुरा से रोजदा रोड़ से चतरपुरा लिंक रोड़ पर स्थित होना अंकित किया हुआ है फिर भी उक्त रास्ते को अकेले अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से गलत काटा गया है जबकि आधा रास्ता अपीलान्ट की भूमि में तथा आधा रास्ता सरहदी ग्राम शुभरामपुरा की भूमि में अर्थात दोनों ग्रामों की सींव पर स्थित है जिसके बारे में ग्राम पंचायत हरदत्तपुरा द्वारा दिनांक 18.07.2024 को पत्र जारी कर वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया है जिसके अनुसार भी मौके पर ग्राम शुभरामपुरा व हरदत्तपुरा की सीमा पर चालू व ग्रेवल रोड़ है किन्तु उक्त दर्ज रास्ता केवल ग्राम हरदत्तपुरा में ही काटा गया है जबकि मौके पर उक्त रास्ता आधा शुभरामपुरा व आधा हरदत्तपुरा में लगभग 2–2 मीटर में चालू है। उपरोक्त स्थिति के कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व जमाबन्दी का दिनांक 15.07.2024 का अवालेकन किये जाने पर जरिये राजस्व नामान्तरकरण संख्या 296 दिनांक 14.06.2024 द्वारा राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने की जानकारी हुई उक्त जानकारी दिनांक 15.07.2024 से खातेदारान ने तहसीलदार से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि पटवारी ने यदि गलत स्थान पर रास्ता प्रस्तावित कर दिया तो आप स्थानीय सरपंच से लिखाकर दे दो, मैं जांच करवा लूंगा। जिस पर दिनांक 18.07.2024 को स्थानीय सरपंच ने पत्र जारी कर मौके पर रास्ता आधा शुभरामपुरा में व आधा हरदत्तपुरा में लगभग दो–दो मीटर अर्थात चार मीटर चौडा दोनो की ग्रामों की सीमा पर काटे जाने की अनुशंषा की जिसके बाजवूद भी तहसीलदार ने संशोधिन हेतु दिनांक 02.08.2024 को मना कर लिया जिस पर दिनांक 02.08.2024 को ही अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील वास्तविक जानकारी दिनांक 02.08.2024 से अविलम्ब अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायहित में स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि होने से अपीलान्ट्स को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जानी न्यायहित में अतिआवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में उनवान के रूप में राजस्थान सरकार बनाम कजोड़मल व अन्य का अंकिन तो किया है लेकिन उनको सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा प्रभावित पक्षकार होने से अपील

P.T.O.

प्रस्तुत करने की की इजाजत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट्स को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जानी अतिआवश्यक है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जाकर कर मौके पर चालू रास्ते का दोनों ग्रामों हरदत्तपुरा व शुभरामपुरा की सीमाओं में बराबर–बराबर काटने का पुनः प्रस्ताव मंगाया जाकर प्रभावित खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिपूर्ण निर्णय पारित करने हेतु आदेशित फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्रचलित रास्ते के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसरण में बाद परीक्षण अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2024 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपर न्यायालयो की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपीलें/प्रार्थना पत्रादि के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 67 एवं 67/296 में चार मीटर का रास्ता ग्राम हरदत्तपुरा व शुभरामपुरा की सीमा पर प्रस्तावित किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न नक्शानुसार प्रस्तावित रास्ता केवल ग्राम हरदत्तपुरा के ही उक्त खसरा नम्बर 67 एवं 67/296 में ही दर्शाया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार रामपुरा डाबडी को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर प्रचलित रास्ते की स्थिति अनुसार रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर